(80)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1373–तीन/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–01–2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–22/अपील/1999–2000

.....

डॉ0 जगदीश प्रसाद गुप्ता तनय स्व0 श्री विप्र प्रसाद गुप्ता
निवासी–हॉस्पिटल चौक सतना, तहसील रघुराजनगर
जिला–सतना(म0प्र0)

———आवेदक

विरूद्ध

1– प्रकाश चंन्द्र तनय स्व0 श्री भागवत प्रसाद गुप्ता उर्फ बब्बू ठेकेदार
निवासी–कृष्ण नगर सतना, तहसील रघुराजनगर
जिला–समना(म0प्र0)

2– लक्ष्मीचंन्द्र गुप्ता तनय स्व0 श्री भागवत प्रसाद गुप्ता उर्फ बब्बू ठेकेदार
पुरानी सब्जी मंडी सतनर, तहसील रघुराजनगर,
जिला–सतना (म0प्र0)

———अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/09/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–01–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्र0 01 द्वारा ग्राम कोलगवां की वादग्रस्त आराजी नं0 277/1/1 का बटवारा नामांतरण किये जाने बावत संहिता की धारा 178, 109–110 के अंतर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार रघुराजनगर के समक्ष दिनांक 09.02.1994 को प्रस्तुत किया गया । जहॉ पर तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 24/अ–27/1993–94 में दिनांक 30.06.94 को अनावेदक क्र0 1 के पक्ष में बटवारा नामांतरण का आदेश पारित किया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.06.1994 के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 224/अपील/94–95 में दिनांक 27.09.1999 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया कि हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई । जहॉ अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 22/अपील/1999–2000 में दिनांक 21.01.2000 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अवैधानिक मानते हुये निरस्त किया तथा अपील स्वीकार की है। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 21.01.2000 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कोलगवां की वादग्रस्त भूमि पूर्व में संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति थी जिसका भूमिस्वामी रामचन्द्र थे। वर्ष 1962 के बाद रामचन्द्र की सहमति से बराबर भाग का बटवारा नामांतरण हो चुका था । चूँकि बटवारा नामांतरण सन् 1962 में ही हो गया था, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक डॉ0 जगदीश प्रसाद

गुप्ता का हित दर्शित रह गया था। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को हितबद्ध पक्षकार बनाये जाने तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के आदेश पारित किया है, जबकि आवेदक की सहमति से ही आराजी बटवारा हुआ था और उभयपक्ष उसके अनुसार ही काबिज थे। इसी कारण अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में पूर्ण विवेचना कर विस्तारपूर्वक आदेश पारित करते हुये, अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तित आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–01–2000 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,